खातेदारान् की बेदखली करते हुए कब्जा राज प्राप्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज0 के खसरा नम्बर 411/21, रकबा 0.1619 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, में से 0.0162 **हैक्टेयर भाग जो कि वाद–पत्र एवं पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 21.03.2023 में अंकित है,** से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर मौके से प्रतिवादीगण को भौतिक रूप से बेदखल करते हुए कब्जा राज प्राप्त करें। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपोर्ट में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा तथा तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)